

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938

No. 572]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

रक्षोपाय महानिदेशक

(सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

शुद्धि-पत्र

विषय : "अलाय और गैर-अलाय स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स (क्वॉइल फार्म में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का अपवर्जन करके) के भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय अंतिम निष्कर्ष ।

सा.का.नि. 803(अ).—उपरोक्त विषय पर एफ.डी 22011/47/2015/पार्ट-V, दिनांक 2 अगस्त, 2016 के तहत अंग्रेजी में जारी अंतिम निष्कर्ष के पैरा 73 के अंतर्गत "तालिका-12", पैरा 81 के अंतर्गत "तालिका-13" और पैरा 83 के अंतर्गत "तालिका-14" को क्रमशः "तालिका-11", "तालिका-12" और "तालिका-13" पढ़ा जाय।

प्रतीक "\$" अंग्रेजी में जारी अंतिम निष्कर्ष के शीर्षक "V. महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जांच एवं जांच-परिणाम" में जहाँ कहीं भी दर्शाया गया हो को "US\$" पढ़ा जाय तथा हिंदी में जारी अंतिम निष्कर्ष के शीर्षक "V. महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जांच एवं जांच-परिणाम" में शब्द "डॉलर" जहाँ कहीं भी दर्शाया गया हो को "यूएस डॉलर" पढ़ा जाय।

[फा. सं. डी.-22011/47/2015/पार्ट-V/1191]

वित्तय छाबड़ा, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th August, 2016

Sub. : Final findings in case of safeguard investigation concerning imports of “Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel” into India.

G.S.R. 803(E).—In the final finding dated 2nd August, 2016 issued vide F. No.D-22011/47/2015/Pt.V in English version on the above mentioned subject, the “Table-12” under para-73, “Table-13” under para- 81 and “Table-14” under para- 83 may be read as “Table-11”, “Table-12” and “Table-13” respectively.

In the final findings issued in English version, the symbol “\$” wherever mentioned under heading “V. EXAMINATION AND FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL(SAFEGUARDS)” may be read as “US\$” and the word “Dollar” wherever mentioned in final findings issued in Hindi version may be read as “US Dollar”

[F. No. D-22011/ 47/2015/Pt.V/1191]

VINAY CHHABRA, Director General